भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

राजभाषा प्रभाग

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (MINUTES)

अध्यक्षः श्री अरूण सिंघल, आई.ए.एस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय के जनवरी-मार्च, 2022 तिमाही के हिंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई, 2022 के अपराह्न 15:30 बजे पंचम् तल, एफडीए भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

1. स्वागत

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और हिंदी की मदों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर प्रगति करने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होने प्रमुख (सा. प्रशा/ विधि/राभा) से बैठक की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। प्रमुख (सा.प्रशा./विधि/राभा) के आग्रह के अनुसार सहायक निदेशक (सा. प्रशा./राभा) ने समिति के सदस्यों को बैठक की कार्यसूची की मदों से अवगत कराया।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को बताया गया कि दिनांक 04 मार्च, 2022 को आयोजित समिति की पिछली बैठक का कार्यवृत्त सदस्यों एवं प्रभागों को दिनांक 17 मार्च, 2022 को परिचालित कर दिया गया था और उस पर सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उन्होंने समिति को कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया, जिस पर समिति ने कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. बैठक में लिए गए निर्णय

बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022-23 का राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए समिति ने राजभाषा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत चर्चा करके निम्नलिखित निर्णय लिए -

क्रम सं.	निर्णय	कार्रवाई
1.	प्राधिकरण की "खाद्यांजलि" पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा जाए।	राजभाषा प्रभाग
2.	सभी क्षेत्रीय कार्यालय व प्रयोगशालाएँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन तुरंत कर मुख्यालय को सूचित करें और उसकी बैठकें हर तिमाही नियमित रूप से करें।	सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रयोगशालाएँ
3.	कोची और टुटिकोरिन कार्यालय छोटे होने के कारण इनके हिंदी कार्यों की प्रगति के आँकड़े क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के आँकड़ों में शामिल करके भेजे जाएँ।	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई और टुटिकोरिन तथा कोची कार्यालय
4.	गुवाहाटी कार्यालय छोटा होने के कारण उसके हिंदी कार्यों की प्रगति	क्षेत्रीय कार्यालय,

	के आँकड़े क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के आँकड़ों में शामिल करके भेजे जाएँ।	कोलकाता और गुवाहाटी
5.	गाजियाबाद तथा जेएनपीटी प्रयोगशालाएँ पीपीपी मोड में होने के कारण उनके हिंदी कार्यों की रिपोर्टें मंगाने की आवश्यकता नहीं है।	राजभाषा प्रभाग तथा जेएनपीटी और गाजियाबाद प्रयोगशाला
6.	क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रयोगशालाओं के हिंदी कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर समिति ने खेद व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि वे अपने हिंदी कार्यों की स्थिति में तुरंत सुधार करें तथा उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए इस कार्य में दक्ष मुख्यालय के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रयोगशालाओं के निरीक्षण जारी रखे जाएँ।	सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रयोगशालाएँ तथा राजभाषा प्रभाग
7.	प्रमुख (हिंदी) हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करके उनके हिंदी ज्ञान की सही स्थिति पता करें।	प्रमुख (हिंदी)
8.	क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रयोगशालाओं के जिन नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, जिन पीए, वरिष्ठ पीए आदि को हिंदी आशुलिपि का ज्ञान नहीं है तथा जिन कनिष्ठ सहायकों को हिंदी टंकण का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये प्रशिक्षण यथाशीघ्र दिलाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में अप्रशिक्षित शेष अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का पता लगाया जाए। यदि ऐसी कक्षाएँ होती हों तो उन्हें ये प्रश्क्षिण लेने के लिए कहा जाए।	सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रयोगशालाएँ, राजभाषा प्रभाग तथा हिंदी में अप्रशिक्षित सभी अधिकारी/ कर्मचारी
9.	सभी प्रभाग/कार्यालय/प्रयोगशालाएँ तिमाही रिपोर्ट सही तरह तथा पूरी भरें और उसे राजभाषा प्रभाग को समय पर भेजें। मानव संसाधन प्रभाग की जनवरी-मार्च तिमाही की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने पर खेद व्यक्त करते हुए उसे निर्देश दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट हर तिमाही समय पर भेजे।	सभी प्रभाग/कार्यालय/ प्रयोगशालाएँ तथा मानव संसाधन प्रभाग
10.	प्रशिक्षण प्रभाग 'क' क्षेत्र के साथ अपने हिंदी पत्राचार में सुधार लाए।	प्रशिक्षण प्रभाग
11.	सभी प्रभाग/कार्यालय/प्रयोगशालाएँ उन्हें प्राप्त पत्रों का उत्तर शीघ्रतिशीघ्र देना सुनिश्चित करें।	सभी प्रभाग, कार्यालय और प्रयोगशालाएँ
12.	सभी प्रभाग/कार्यालय/प्रयोगशालाएँ धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करें और हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिंदी में ही दें।	सभी प्रभाग, कार्यालय और प्रयोगशालाएँ
13.	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई और कोलकाता ने 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त उन पत्रों में से किसी पत्र का उत्तर हिंदी में नहीं दिया, जिनका उत्तर देना अपेक्षित था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी ओर से 'ख' क्षेत्र को कोई पत्र हिंदी में नहीं भेजा। 'क' क्षेत्र के साथ भी उनका मूल हिंदी पत्राचार नगण्य है। इस संबंध में उन्हें नियमों का अनुपालन	राजभाषा प्रभाग

	करने के लिए पत्र लिखा जाए।	
14.	सभी प्रभाग/कार्यालय/प्रयोगशालाएँ अपने हिंदी पत्राचार और नोटिंग में सुधार करें।	सभी प्रभाग/कार्यालय/ प्रयोगशालाएँ
15.	हिंदी टंककों (कनिष्ठ सहायकों), पीए, वरिष्ठ पीए आदि की भर्ती करते समय राजभाषा विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखा जाए, जिनमें कहा गया है कि 'क' क्षेत्र में 80 प्रति शत, 'ख' क्षेत्र में 70 प्रति शत और 'ग' क्षेत्र में 40 प्रति शत हिंदी टंककों (कनिष्ठ सहायकों), पीए, वरिष्ठ पीए की भर्ती की जाए	मानव संसाधन प्रभाग

अन्य कोई मद न होने पर बैठक अध्यक्ष महोदय और समिति सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

अनुबंध - 1

बैठक में उपस्थित सदस्य

1.	श्री अरूण सिंघल, आई.ए.एस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सुश्री इनोशी शर्मा, कार्यकारी निदेशक (आर.सी.डी/एस.बी.सी.डी)	सदस्य
3.	डॉ. एन भास्कर, सलाहकार (विज्ञान एवं मानक)	सदस्य
4.	श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन/ विधि/राजभाषा)	सदस्य
5.	कोमो. शरद अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	सुश्री स्वीटी बेहेरा, निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन)	सदस्य
7.	श्री उमेश कुमार जैन, संयुक्त निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य
8.	श्री मनीष कुमार मिश्रा, उप निदेशक (वित्त)	सदस्य
9.	श्री पंकज गेरा, सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन/ राजभाषा) सचिव	सदस्य

अन्य अधिकारी

10. श्री शुभाशीष मल्लिक, वरिष्ठ प्रबंधक (एसबीसीडी)
11. सुश्री सुजाता सिंह, सहायक निदेशक (टीआईसी)
12. श्री रमेश चन्द्र, परामर्शदाता (हिंदी)
13. सुश्री दीपिका सिंह, हिंदी अनुवादक
14. सुश्री नीति राय, अनुवादक (हिंदी)
15. सुश्री कल्पना नेगी, डीईओ (राजभाषा)

नोट - किसी सदस्य के नाम और क्रम में गलती अनजाने में है, जिसके लिए खेद प्रकट किया जाता है। अगली बैठक में सही प्रकार देने के लिए कृपया उसे राजभाषा प्रभाग के ध्यान में ला दें।